उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H06625 /NGT-106/ C-1 **/2024**

E-mail
Date: 06/02/2024

To,

The Registrar
Hon'ble National Green Tribunal
Copernicus Marg, New Delhi.

Sub:- **Compliance Report of Hon'ble National Green Tribunal order dated 20-12-2023 passed in EA no. 46/2013 in EA no. 24/2013 in OA no.989 of 2019 in the matter of Ved Prakash Aggrawal Vs. Municipal Commissioner, Nagar Nigam Ghaziabad.**

R/Sir,

In compliance of Hon'ble National Green Tribunal order dated 20-12-2023 passed in EA no. 46/2013 in EA no. 24/2013 in OA no.989 of 2019 in the matter of Ved Prakash Aggrawal Vs. Municipal Commissioner, Nagar Nigam Ghaziabad, the Action Taken Report is being annexed herewith.

It is requested that the said report may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Encl:- As above.

Yours Sincerely

Sk

(Sanjeev Kumar Singh)
Member Secretary

Copy to - for information and necessary action;

1- Shri. Pradeep Misra, Advocate , Residence 235, Sector-XIX, NOIDA-201301 E mail- pradeepmisra@yahoo.com.
2- Regional Officer, UPPCB, Ghaziabad
3- Law Officer-I, UPPCB, Lucknow.

Member Secretary

टी0सी0–12वीं, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ–226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई–मेल : info@uppcb.com] website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e.mail : info@uppcb.com] website: www.uppcb.com

ACTION TAKEN REPORT

IN COMPLIANCE OF

HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL'S ORDER

DATED 20.12.2023

IN

EXECUTION APPLICATION NO. 24/2021 IN

O. A. NO. 989/2019 (E.A. No-46/2023 & E.A.-24/2021)

TITLED

VED PRAKASH AGGARWAL

VERSUS

MUNICIPAL COMMISSIONER, NAGAR NIGAM GHAZIABAD

Filed On Behalf of:
Uttar Pradesh Pollution Control Board

Reply/response with respect to Hon'ble NGT order dated 20.12.2023 passed in the matter of Ved Prakash Aggarwal Vs Municipal Corporation Nagar Nigam, Ghaziabad in OA No-989/2019 (EA No-46/2023, 24/2021).

1. Background

On above matter the Hon'ble National Green Tribunal passed order on 23.12.2023 and directed following:-

"......5. Complaining that nothing further has been done pursuant to order dated 01.02.2022, MA No. 86/2022 and MA No. 87/2022 were filed which were disposed of by order dated 06.12.2022 directing State Pollution Control Board to look into the matter, take remedial action at Hapur in the light of judgment of Tribunal dated 08.07.2019 passed in O.A. No. 46/2018 read with orders dated 08.10.2020 and 01.02.2022passed in O.A. No. 989/2019 and EA No. 24/2021 and submit an action taken report as on 30.06.2023 with the Registrar General of Tribunal.

6. It is said that no such report has been submitted. We are also informed by Registry that no action taken report has been filed by State Pollution Control Board.

7. In these circumstances, we direct Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board to submit its response within one month as to whether order dated 06.12.2022 has been complied with or not and if not, what appropriate action he has taken against erring officials.

8. List the matter on 09.02.2024......"

2. Action Taken

1) That, in compliance of Hon'ble National Green Tribunal order dated 23.12.2023, U.P. Pollution Control Board (UPPCB) issued letter dated 24.01.2024 to Executive Officer, Nagar Pallika Parishad, Hapur, directing him to restrain the operation and remove the illegal dairy operating in the residential colony of Raj Nagar/ Keshav Nagar, district Hapur. Copy attached as **Annexure-I.**

2) That, Executive officer, Nagar Pallika Parishad, Hapur has intimated vide his letter dt. 06.02.2024 that in compliance to the Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad letter dt 24-01-2024, a special drive against the illegal dairy operating in the residential colony of Raj Nagar/ Keshav Nagar, district Hapur was conducted on 02-02-2024. During drive it was instructed to the owner of the illegal dairy operating in the residential colony of Raj Nagar/ Keshav Nagar, district Hapur to remove these dairy.

3) That, Executive Officer, Nagar Pallika Parishad, Hapur vide his letter dt. 06.02.2024 has intimated that, the site was again inspected by the Tehsildar , Hapur sadar, Inspector In-charge Police station , Kotwali Thana , Hapur and representative of Nagar Palika , Hapur and U.P. Pollution Control Board on 06-02-2024 and during inspection it was found that those illegal dairy operating operating in the residential colony of Raj Nagar/ Keshav Nagar, district Hapur has been removed from the site. The copy of the letter dt. 06.02.2024 received from Executive Officer, Nagar Pallika Parishad, Hapur is attached as **Annexure-II.**

The above action taken report is hereby submitted for kind perusal.

Sk

(Sanjeev Kumar Singh)
Member Secretary

Annexure I

क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail:roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : 2035/NGT/OA No 989/2019/2023 दिनांक 24/01/2024

सेवा में, **मा0 एनजीटी/समयबद्ध प्रकरण**

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
हापुड़।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे योजित ओ0ए0 संख्या 989/2019 वेद प्रकाश अग्रवाल बनाम म्यूनिस्पिल कमीशनगर नगर निगम, गाजियाबाद व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे योजित ओ0ए0 संख्या 989/2019 वेद प्रकाश अग्रवाल बनाम म्यूनिस्पिल कमीशनगर नगर निगम, गाजियाबाद व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का अवलोकन करने का कष्ट करें। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नानुसार हैः–

"........5. Complaining that nothing further has been done pursuant to order dated 01.02.2022, MA No. 86/2022 and MA No. 87/2022 were filed which were disposed of by order dated 06.12.2022 directing State Pollution Control Board to look into the matter, take remedial action at Hapur in the light of judgment of Tribunal dated 08.07.2019 passed in O.A. No. 46/2018 read with orders dated 08.10.2020 and 01.02.2022 passed in O.A. No. 989/2019 and EA No. 24/2021 and submit an action taken report as on 30.06.2023 with the Registrar General of Tribunal.
6. It is said that no such report has been submitted. We are also informed by Registry that no action taken report has been filed by State Pollution Control Board.
7. In these circumstances, we direct Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board to submit its response within one month as to whether order dated 06.12.2022 has been complied with or not and if not, what appropriate action he has taken against erring officials.
8. List the matter on 09.02.2024......"

संदर्भित विषय हापुड़ स्थित आवासीय कॉलोनी राजनगर/कैशव नगर मे अवैध रूप से संचालित पशु डेरियों का संचालन रूकवाने/हटवाने के सम्बन्ध मे है। इस कार्यालय के सहायक पर्यावरण अभियंता द्वारा आपसे एवं आपके कार्यालय से कई बार दूरभाष पर एवं व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर राजनगर/कैशव नगर मे अवैध रूप से संचालित पशु डेरियों का संचालन रूकवाने/हटवाने के सम्बन्ध मे अनुरोध किया गया था परन्तु उक्त के सम्बन्ध मे आप द्वारा कोई कार्यवाही नही की गयी। **उपरोक्त के सम्बन्ध मे आप द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने पर शिकायतकर्ता द्वारा मा0 अधिकरण के समक्ष ई0ए0 संख्या 46/2023 दाखिल की गयी है, जिस पर मा0 अधिकरण द्वारा अद्यतन स्थिति चाही गयी है।**

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध मे राजनगर/कैशव नगर मे अवैध रूप से संचालित पशु डेरियों का संचालन रूकवाने/हटवाने की कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, जिससे कि संकलित आख्या मा0 अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जा सकें। अग्रेतर अवगत कराना है कि वाद की अग्रिम सुनवाई तिथि दिनांक 09.02.2024 नियत है।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

भवदीय

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः जिलाधिकारी महोदया, हापुड़ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

4

Annexure-II

कार्यालय नगर पालिका परिषद हापुड़, जनपद–हापुड़।

पत्रांकः– 727 /23/स्वा0वि0/2023–24 दिनांकः– 06/02/24

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
गाज़ियाबाद।

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 989/2019 वेद प्रकाश अग्रवाल बनाम म्यूनिस्पिल कमीशनगर नगर निगम, गाजियाबाद व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सम्बन्ध मे।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र सं0–2035/989/2019/2023 दिनांक 24.01.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके अन्तर्गत **"हापुड़ स्थित आवासीय कॉलोनी राजनगर/केशवनगर में अवैध रूप से संचालित पशु डेरियों का संचालन रूकवाने/हटवाने के सम्बन्ध में मा0 अधिकरण के समक्ष ई0ए0 संख्या–46/2023 दाखिल की गयी है, जिस पर मा0 अधिकरण द्वारा अद्यतन स्थिति चाही गयी है"**

उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि **श्री मुकेश पुत्र श्री धर्मपाल, श्री नितेश पुत्र श्री धर्मपाल, श्री प्रदीप पुत्र श्री राजपाल, श्री सुभाष पुत्र श्री जगदीश, श्री नरेश पुत्र श्री धर्मपाल, श्री बन्टी यादव पुत्र श्री पप्पू, श्री अशोक यादव पुत्र श्री सन्नी यादव द्वारा** मौहल्ला राजनगर/केशवनगर कॉलोनी में अवैध रूप से डेयरियॉ सचांलित की जा रही थी, उक्त डेयरियों में अभिलेखानुसार क्रमशः पशु 42,20,23,17,47,20,20 सरंक्षित है, जो मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0–138/2015 कृष्णपाल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.09.2015 एवं नगर पालिका अध्रिनियम 1916 तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि–2018 में दिये गये प्राविधानों का उल्लंघन है। जिसको दृष्टिगत रखते हुए पालिका द्वारा उक्त अवैध डेयरियों को 03 दिवस के अन्दर बन्द करने हेतु नोटिस निर्गत किये गये, परन्तु इनके द्वारा उक्त अवधि में कार्य बन्द नहीं किया गया, जिसको दृष्टिगत रखते हुए पुनः पालिका द्वारा उक्त डेयरी संचालको पर नियमानुसार जुर्माना आरोपित करते हुए जुर्माने की धनराशि पालिका कोष में जमा किये जाने हेतु द्वितीय नोटिस जारी किया गया, जिसके उपरान्त भी डेयरी संचालकों द्वारा ना तो उक्त डेयरी बन्द की गयी और ना ही जुर्माने की धनराशि पालिका कोष में जमा की गयी। जिसके उपरान्त पालिका द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हापुड़ के न्यायालय में वाद दायर किया गया, जिसमें अवैध डेयरी संचालकों द्वारा लोक अदालत के माध्यम से अपने वादों का निस्तारण कराते हुए **श्री प्रदीप पुत्र श्री राजपाल, श्री सुभाष पुत्र श्री जगदीश, श्री बन्टी यादव पुत्र श्री पप्पू, श्री अशोक यादव पुत्र श्री सन्नी यादव** द्वारा डेयरी का संचालन बन्द कर दिया गया। शेष 03 डेयरी संचालक **श्री मुकेश पुत्र श्री धर्मपाल, श्री नितेश पुत्र श्री धर्मपाल, श्री नरेश पुत्र श्री धर्मपाल द्वारा** डेयरियों का संचालन जारी रखा, जिन्हें पालिका द्वारा पुनः दिनांक 21.12.2023 द्वारा उक्त अवैध डेयरियों को 07 दिवस के अन्दर बन्द करने हेतु नोटिस निर्गत किये गये, परन्तु इनके द्वारा उक्त अवधि में कार्य बन्द नहीं किया गया।

उक्त के सम्बन्ध में आपके सज्ञांन में लाना है कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद के पत्र सं0–2035/989/2019/2023 दिनांक 24.01.2024 के अनुपालन में दिनांक 02.02.2024 को तहसीलदार हापुड़, सहायक अभियन्ता प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पालिका टीम, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली हापुड़ की संयुक्त टीम द्वारा मौहल्ला

राजनगर/केशवनगर में अवैध रूप से संचालित पशु डेरियों का संचालन रूकवाने/हटवाने के सम्बन्ध में अभियान चलाया गया। अभियान के समय श्री मुकेश पुत्र श्री धर्मपाल, श्री नितेश पुत्र श्री धर्मपाल, श्री नरेश पुत्र श्री धर्मपाल द्वारा संचालित डेयरी स्वामियों द्वारा डेयरियों को विस्थापित किये जाने हेतु 02 दिन का समय चाहा गया था। उक्त के क्रम में पुनः दिनांक 06.02.2024 को तहसीलदार हापुड़ की उपस्थिति में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रतिनिधि, पालिका के प्रतिनिधि, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली हापुड़ के प्रतिनिधि की संयुक्त टीम द्वारा मौहल्ला राजनगर/केशवनगर में अवैध रूप से संचालित पशु डेरियों का संचालन रूकवाने/हटवाने के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण किया गया, निरीक्षण आख्या संलग्न है। निरीक्षण आख्या के अनुसार श्री मुकेश पुत्र श्री धर्मपाल, श्री नितेश पुत्र श्री धर्मपाल, श्री नरेश पुत्र श्री धर्मपाल द्वारा अवैध रूप से संचालित डेयरियों को हटा लिया गया है। डेयरी संचालकों द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि भविष्य में उक्त स्थलों पर डेयरी का संचालन नहीं किया जायेगा। जो साथ संलग्न है। निरीक्षण दिनांक 02.02.2024 एवं 06.02.2024 को लिये गये जी0पी0एस0 फोटोग्राफ साथ संलग्न है।

अतः आख्या आपकी सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक--उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद हापुड।

6

Annexure-III

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 989/2019 वेद प्रकाश अग्रवाल बनाम म्यूनिस्पिल कमीशनगर नगर निगम, गाजियाबाद व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 द्वारा " हापुड़ स्थित आवासीय कॉलोनी राजनगर/केशवनगर में अवैध रूप से संचालित पशु डेरियों का संचालन रूकवाने/हटवाने के सम्बन्ध में निरीक्षण/कार्यवाही की आख्या

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 989/2019 वेद प्रकाश अग्रवाल बनाम म्यूनिस्पिल कमीशनगर नगर निगम, गाजियाबाद व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के क्रम में मौहल्ला राजनगर/केशवनगर कॉलोनी अवैध रूप से संचालित डेयरियों का निरीक्षण दिनांक 02.01.2024 में किया गया था। निरीक्षण के समय श्री मुकेश पुत्र श्री धर्मपाल, श्री नितेश पुत्र श्री धर्मपाल, श्री नरेश पुत्र श्री धर्मपाल द्वारा संचालित डेयरी स्वामियों द्वारा डेयरियों को विस्थापित किये जाने हेतु 02 दिन का समय चाहा गया था। उक्त के क्रम में आज दिनांक 06.02.2024 को तहसीलदार हापुड़ की उपस्थिति में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रतिनिधि, पालिका के प्रतिनिधि, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली हापुड़ के प्रतिनिधि की संयुक्त टीम द्वारा मौहल्ला राजनगर/केशवनगर में अवैध रूप से संचालित पशु डेरियों का संचालन रूकवाने/हटवाने के सम्बन्ध में निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के समय पाया गया कि श्री मुकेश पुत्र श्री धर्मपाल, श्री नितेश पुत्र श्री धर्मपाल, श्री नरेश पुत्र श्री धर्मपाल द्वारा अवैध रूप से संचालित डेयरियों को हटा लिया गया है। संयुक्त टीम द्वारा डेयरी संचालकों को निर्देशित किया गया कि भविष्य में उक्त स्थल पर डेयरी का संचालन ना किया जाये। निरीक्षण के समय लिये गये जी0पी0एस0 फोटोग्राफ साथ संलग्न है।

A.K.Gupta SA (UPPCB)

06.02.2024

AEE, UPPCB GBD

06.02.2024

<u>दिनांक 02.02.2024 निरीक्षण के समय फोटोग्राफ</u>

<u>दिनांक 06.02.2024 निरीक्षण के समय फोटोग्राफ</u>